न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 211/2023
जीसीएमएस न0 2023/638

1. प्रेमलता पत्नि दिनेश जी जाति मीणा निवासी ईशक्काबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. पार्वतीबाई पत्नि शंकरलाल मीणा निवासी जलिया तहसील निम्बाहेडा।
3. शांतिलाल पुत्र शंकरलाल मीणा निवासी जलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थिया
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 28.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा कासोद प०ह० निम्बाहेडा–बी तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 37 के आराजी नं0 262/613 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, लगानी 5 रुपये 49 पैसा, आराजी नं० 358/615 रकबा 0.5900 हैक्टेयर, लगानी 7 रुपये 67 पैसा कुल किता 2 कुल रकबा 0.7700 हेक्टेयर कुल लगानी 13 रुपये 16 पैसा भूमि स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजीयात में पुराने नक्षा ट्रेस में तरमीम नही थी, तथा वर्तमान सेटलमेन्ट के नवीन नक्षा ट्रेस में प्रार्थीया की आराजी नं0 262/613 को उत्तर दक्षिण लम्बाई मे अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थीया की आराजीयात रोड से लगी होकर पूर्व पश्चिम लम्बाई मे मौके पर प्रार्थीया काबिज होकर स्थित हैं, तथा आराजी नं0 358/615 को नवीन नक्षा ट्रेस मे उत्तर दक्षिण लम्बाई मे अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थीया की आराजीयात रोड से लगी होकर पूर्व पश्चिम लम्बाई मे मौके पर प्रार्थीया काबिज होकर स्थित हैं, तथा इसी अनुसार शुरु से काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं तथा पूर्व खातेदार द्वारा जहां पर प्रार्थीया को कब्जा किया है वहीं पर काबिज चली 'आं रही हैं। राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से नवीन नक्षा ट्रेस में आराजी नं0 262/613 एवं 358/615 को गलत रुप से तरमीम कर दिया है, जो पूराने नक्षा ट्रेस मे तरमीम नही था।

3. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त नवीन नक्षा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती से गलत रुप से तरमीम हो गया हैं तथा उक्त नवीन नक्शा ट्रेस मे अंकन प्रार्थीया का मौके पर कब्जे अनुसार नही किया हैं। इसलिए उक्त नवीन नक्शाट्रेस में तरमीम प्रार्थीया की आराजी नं0 262/613 एवं 358/615 को रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

से लगी हुई होकर पूर्व से पश्चिम प्रार्थीया मौके पर काबिज है उसी अनुसार, नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी संख्या 2 व 3 बावजुद सुचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया कि वर्ष 2057–2060 की खाता संख्या 109 में प्रसंग आराजी नम्बर 170 रकबा 1.13 एकड़ एवं आराजी नम्बर 256 रकबा 2.97 एकड़ खातेदार मोहन माधू पिता उदा मीणा के नाम से दर्ज रेकार्ड थी। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, महोदय के प्रकरण संख्या 8/04 से आराजी नम्बर 442/170 रकबा 0.43 एकड़ एवं आराजी नम्बर 444/256 रकबा 1.47 एकड़ बटवारा से माधू पिता उदा मीणा सा. देह के नाम दर्ज हुई। दोनों आराजियात का विभाजन प्रस्ताव नक्शा ना०सं० 442 पर चस्पा है जो वर्तमान नक्शा हाल भू–प्रबंध नक्शा से मिलान होता है मगर मौका कब्जा अनुसार नहीं है। उक्त प्रसंग गत आराजी नम्बर 442/170 रकबा 0.43 एकड एवं 444/256 रकबा 1.47 एकड़ के नवीन आराजी नम्बर 262/613 रकबा 0.18 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 358/615 रकबा 0.59 हैक्टेयर क्रमशः होकर मिलान क्षेत्रफल से मिलान होते है जो विरासत एवं बाद में बेचान से प्रार्थीया श्रीमती प्रेमलता पत्नी दिनेश मीणा के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 262/613 व 262 का रकबा कमी–बेशी हाल नक्शा में दर्ज हुआ है। मौका कब्जा प्रार्थीया की आराजी नम्बर 262/613 व आराजी नम्बर 358/615 कुल रकबा 0.77 हैक्टेयर पर उक्त गत भू–प्रबंध बंटवारा नक्शा व हाल नक्शा तरमीम अनुसार नहीं होकर प्रार्थीया का कब्जा आराजी नम्बर 262/613 व 262 एवं 358/615 व 358 के उत्तर दिशा में गै०मु० रास्ता आराजी नम्बर 259 से लगा हुआ हिस्सा रकबा 0.77 हेक्टेयर पर पत्थर के पिलर–तारबन्दी लगाकर पुख्ता कब्जा है। मौका पर पूर्व गत भू–प्रबंध के सहखातेदारान के उक्त बटवारा से हिस्से में आई (आराजी नम्बर 358 व 262 कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर हाल नम्बर) गत आराजी नम्बर 170 रकबा 0.70 व आराजी नम्बर 256 रकबा 1.50 एकड़ कुल 2.20 एकड़ हाल आराजी नम्बर 358 व 262 कुल रकबा 0.89 हेक्टेयर पर भी उनके हाल खातेदारान का कब्जा उक्त बटवारा नक्शा व हाल नक्शा तरमीम अनुसार नहीं होकर प्रार्थीया प्रेमलता मीणा के दक्षिण दिशा में हाल आराजी नम्बर 262, 262/613 व 358, 358/615 के दक्षिण दिशा में हिस्सा रकबा 0.89 हैक्टेयर पर पुख्ता कब्जा काश्त है। सारांशतः विवरण इस प्रकार है कि गत भू–प्रबंध आराजी नम्बर 170 व 256 का बंटवारा दो सहखातेदारान में माननीय न्यायालय आदेश से पूर्व व पश्चिम दिशा में हिस्सा रखते हुआ। इसी अनुसार गत नक्शा में तरमीम होकर उत्तर–दक्षिण लम्बाई में तरमीम हुआ जो गत के मुकाबले मिलान होता है। मगर मौका कब्जा काश्त स्थिति से मिलान नहीं होता हैं। मौके पर वर्तमान में दोनों ही हिस्से के वर्तमान खातेदार बराबर रकबा में (पूर्व व पश्चिम दिशा के बजाय) उत्तर व दक्षिण दिशा में इन्हीं आराजियात / रकबा में कब्जा काश्त है। प्रार्थीया हाल आराजी नम्बर 262, 262/613 व 358, 358/615 में हिस्सा रकबा 0.77 हैक्टेयर पर आराजी नम्बर 259 रास्ता गै०मु० के सहारे उत्तर में तथा हाल आराजी नम्बर 262 व 358 के हाल खातेदार उक्त आराजियात के दक्षिण में रकबा 0.89 है० पर मौका कब्जा के संलग्न नक्शा अनुसार कब्जा काश्त है। मौका कब्जा अनुसार तरमीम किया जाने की अनुशंषा की।

5. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

एवं

<u>धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण (**Maintenance**)</u> – सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थियाद्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि गत भू–प्रबंध आराजी नम्बर 170 व 256 का बंटवारा दो सहखातेदारान में माननीय न्यायालय आदेश से पूर्व व पश्चिम दिशा में हिस्सा रखते हुआ। इसी अनुसार गत नक्शा में तरमीम होकर उत्तर–दक्षिण लम्बाई में तरमीम हुआ जो गत के मुकावले मिलान होता है। मगर मौका कब्जा काश्त स्थिति से मिलान नहीं होता हैं। मौके पर वर्तमान में दोनों ही हिस्से के वर्तमान खातेदार बराबर रकबा में (पूर्व व पश्चिम दिशा के बजाय) उत्तर व दक्षिण दिशा में इन्हीं आराजियात/रकबा में कब्जा काश्त है। प्रार्थीया हाल आराजी नम्बर 262, 262/613 व 358, 358/615 में हिस्सा रकबा 0.77 हैक्टेयर पर आराजी नम्बर 259 रास्ता गै०मु० के सहारे उत्तर में प्रार्थीया प्रेमलता के तथा हाल आराजी नम्बर 262 व 358 के हाल खातेदार उक्त आराजियात के दक्षिण में रकबा 0.89 है० पर मौका कब्जा के संलग्न नक्शा अनुसार कब्जा काश्त है। मौका कब्जा अनुसार तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Scanned by CamScanner

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थियाका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कासोद पटवार हल्का निम्बाहेडा बी तहसील निम्बाहेडा की आराजी नम्बर 262, 262/613 व 358, 358/615 में हिस्सा रकबा 0.77 हैक्टेयर पर आराजी नम्बर 259 रास्ता गै०मु० के सहारे उत्तर में प्रार्थिया के नाम तथा हाल आराजी नम्बर 262 व 358 के हाल खातेदार उक्त आराजियात के दक्षिण में रकबा 0.89 है० स्थित भूमि पर मौका कब्जा अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न रहेगा। तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार अमल दरामद करे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner